रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228701
CG-DL-E-03082021-228701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943
No. 311] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पोर्टफोलियो प्रबंधक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/31.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में,-

   I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

i. खंड (क) के पश्चात् और खंड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, -

"(कक) "अक्रेडिटेशन एजेंसी" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (कक) में इसके लिए दिया हुआ है;

"(कख) "अक्रेडिटिड निवेशक" का अर्थ है - ऐसा व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो और जिसे अक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा अक्रेडिटेशन प्रमाणपत्र दिया गया हो;"

ii. खंड (ठ) के पश्चात् और खंड (ड) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(ठक) "अत्यधिक निवेश करने वाले अक्रेडिटिड निवेशक" का अर्थ ऐसे अक्रेडिटिड निवेशक से है, जिसने कम से कम दस करोड़ रुपये की रकम का निवेश करने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक के साथ करार किया हो;"

II. विनियम 22 में,

i. उप-विनियम (1) में, चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ii. उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि इन विनियमों की अनुसूची-IV में करार (एग्रीमेंट) की जो विषय-वस्तु निर्धारित की गई है, वह पोर्टफोलियो प्रबंधकों और अत्यधिक निवेश करने वाले अक्रेडिटिड निवेशकों के बीच होने वाले करार के मामले में लागू नहीं होगी।"

III. विनियम 23 के उप-विनियम (2) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि प्रकटीकरण दस्तावेज (डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट) में उपयुक्त प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र्स) और ग्राहक तथा पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच तय हुई शर्तों आदि के अध्यधीन, प्रति ग्राहक निवेश की न्यूनतम रकम संबंधी अपेक्षा अक्रेडिटिड निवेशक पर लागू नहीं होगी:"

IV. विनियम 24 के उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(4क) पोर्टफोलियो प्रबंधक अत्यधिक निवेश करने वाले अक्रेडिटिड निवेशकों की प्रबंधनाधीन आस्तियों (असेट्स अंडर मैनेजमेंट) के शत-प्रतिशत तक का निवेश असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़) में करने के संबंध में वैवेकिक (डिस्क्रेशनरी) या गैर-वैवेकिक (नॉन-डिस्क्रेशनरी) या सलाहकार (एडवाइज़री) सेवाएँ दे सकेगा, बशर्ते कि प्रकटीकरण दस्तावेज (डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट) में उपयुक्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किए जाएं और ऐसा ग्राहक तथा पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच तय हुई शर्तों आदि के अनुसार किया जाए।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./176/2021-22]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/03 द्वारा, 16 जनवरी, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तत्पश्चात्,-
   क. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जी एन/2020/10, द्वारा
   ख. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/10, द्वारा
   ग. 26 अप्रैल, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/16, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd August, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PORTFOLIO MANAGERS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/31.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (b) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, namely:–

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Third Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020,-

I. In sub-regulation (1) of regulation 2,

i. after clause (a) and before clause (b), the following clauses shall be inserted, namely, –

"(aa) "accreditation agency" shall have the same meaning as assigned to it in clause (aa) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;

(ab) "accredited investor" means any person who fulfils the eligibility criteria as specified by the Board and is granted a certificate of accreditation by an accreditation agency;"

ii. after clause (l) and before clause (m), the following clauses shall be inserted, namely, –

"(la) "large value accredited investor" means an accredited investor who has entered into an agreement with the portfolio manager for a minimum investment amount of ten crore rupees;"

II. In regulation 22,

i. in sub-regulation (1), the symbol *".*" shall be substituted with the symbol *":"*

ii. in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely,–

"Provided that the contents of agreement specified under Schedule IV of these regulations shall not apply to the agreement between the portfolio managers and the large value accredited investors."

III. In sub-regulation (2) of regulation 23, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely, –

"Provided further that subject to appropriate disclosures in the disclosure document and the terms agreed between the client and the portfolio manager, the requirement of minimum investment amount per client shall not apply to an accredited investor:"

IV. After sub-regulation (4) of regulation 24, the following sub-regulation shall be inserted, namely, –

"(4A) The portfolio manager may offer discretionary or non-discretionary or advisory services for investment up to hundred percent of the assets under management of the large value accredited investors in unlisted securities, subject to appropriate disclosures in the disclosure document and the terms agreed between the client and the portfolio manager."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./176/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, were published in the Gazette of India on January 16, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/03.
2. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020 were subsequently amended on, –
   a. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
   b. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/10.
   c. 26th April, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/16

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.03 22:10:14 +05'30'